न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2021
आरसीएमएस नं0 2021/97
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

तुलछा पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.06.2017
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा।
प्रकरण संख्या 90/2017 बअनवान सरकार बनाम तुलछा आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः– 31.8.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत राज0 उप0 (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत इस आशय का प्रसुत किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के ख0 नं0 1457 की 2.773 है0 वर्तमान में तुलछा पुत्र बस्ती जाति जाट साकिन बड़ोपल के के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2050 में उक्त रकबा में 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राज व शेष घग्घर के नाम दर्ज हे। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं0 1596 दिनांक 24.07.2000 को आवंटन किया गया है। उक्त वर्णित भूमि घग्घर के जल भराव की भूमि होने के कारण राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि होने का कथन करते हुए प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करने का कथन किया विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत आराजी आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2000 को सुल्तान पुत्र बस्ती राम को कीमतन पुख्ता आवंटित कर दी गइे एवं प्रश्नगत भूमि की समस्त राशि खजानाराज जमा होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा सनद सं0 734 सन् 2004 जारी की गई है तत्पश्चात आवंटी सुल्तान द्वारा प्रश्नगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 20.01.2005 को अपीलाण्ट को विक्रय कर दी एवं समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त करली खरीद के रोज से अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही प्रकरण में मूल आवंटि को पक्षकार बनाया गया बल्कि आनन फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय नियम 21 के तहत प्रश्नगत भूमि को जो कि अपीलाण्ट की खातेदारी खरीदशुदा है उसे निरस्त नहीं कर सकता हैं। विचारण न्यायालय में यह कतई सिद्ध नहीं किया था कि कौनसा तथ्य छिपाया गया है। आवंटन अधिकारी ने समस्त तथ्यों की जांच कर प्रश्नगत रकबा आवंटी को आवंटित किया है। अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने हेतु अपीलाण्ट ने जब 23.03.2021 को प्रार्थना की तो नकल तैयार होने के बाद कोविड –19 महामारी के कारण लोकडाउन हो जाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जिसे क्षमा किया जावे अपील अंदर मियाद शुमार की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1998 पेज 179, आरआरडी 1997 पेज 215 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि जमाबंदी संवत 2050 में उक्त रकबा में 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी राज व शेष घग्घर के नाम दर्ज है। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं0 1596 दिनांक 24.07.2000 को आवंटन किया गया है। उक्त वर्णित भूमि घग्घर के जल भराव की भूमि होने के कारण राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि होने के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
6. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वर्णित रकबा घग्घर जल भराव की भूमि है तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल रिट संख्या 1536 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है तथा जल भराव की भूमि होने के कारण राजस्थान टिननेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आवंटन को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31.8.22

(करतार सिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़